

विमला बनाम सरकार

05.04.22

पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत रास्ते के प्रकरण में ग्राम वासियों द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा करवा दिया गया है। इस कारण अपीलांट अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अपीलांट अपील इसी स्टेज पर विद्धा करना चाहते हैं। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विद्धावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 19-10-2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट इस आधार पर अपील विद्धा करना चाहते हैं कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट स्वयं ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अन्य भूमि प्राप्त होने के आधार पर विद्धा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात् रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगे। लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विद्धावल खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफतर हो।


(राजस्व अपील प्राधिकारी) द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर